न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी सांवरलाल आबासरा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 46/2025 दायर दिनांक 30.05.2025

ऑनलाईन नम्बर 2025/42

तहसीलदार, डूंगरपुर जरिये राजस्थान सरकार

प्रार्थी

बनाम

संरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बलवाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनांक 05.06.2025

यह प्रकरण तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा मौके पर चल रहे रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 व 136 के तहत राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.3(2) राज–6 2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के तहत सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बलवाडा के प्रार्थना के प्रस्तुत होने से किया गया है।

प्रार्थना पत्र अनुसार मौजा चक बलवाडा पटवार मण्डल बलवाडा तहसील व जिला डूंगरपुर

जमाबंदी अनुसार विवरण				मौके पर चल रहे रास्ते का विवरण			
खसरा नम्बर	रकबा हेक्टे.	किस्म जमीन	खातेदार का नाम	रास्ते की चौडाई पट्ठा में	रास्ते की लम्बाई पट्ठा में	रास्ते का रकबा	वि.वि.
10	1.50	मगरी	श्री सरकार	30 फीट	275	0.0766 हेक्टेयर	

उपरोक्त भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड जिसमें प्रार्थी के नाम से दर्ज है। मौजा बलवाडा के खसरा नम्बर 10 रकबा 1.50 हेक्टयेर मगरी पटवारी हल्का, भू अभिलेख निरीक्षक की मौका फर्द अनुसार मौके पर उक्त खसरा राजस्व रिकॉर्ड में बिलानाम सरकार दर्ज है पर डूंगरपुर बिछीवाडा मुख्य सडक (एम.डी.आर.) से बलवाडा रेल्वे फाटक से घुघरा की ओर ग्रामीण डामर सडक बनी हुई है जो वर्षो से रास्ता चलायमान होकर अतिकमण रहित सार्वजनिक आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है तथा किसी नदी, नाले एवं तालाब पेटे में स्थित नही है। उक्त खसरे में रास्ते की चौडाई 30 फीट व लम्बाई 275 फीट होना बताया है एवं तहसीलदार डूंगरपुर ने उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने को प्रकरण प्रस्तुत किया है।

प्रकरण में प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी हल्का, भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट एवं तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 19 1956 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये की गयी रिपोर्ट व गश्त गिरदावरी अनुसार मौजा बलवाडा पटवार मण्डल बलवाडा तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर में स्थिति सारणी में दर्शाये गये रास्ते की चौडाई, लम्बाई (गटठा में) रिपोर्ट एवं रास्ते का क्षेत्रफल रकबा में जो कि संलग्न नजरी नक्शे में लाल श्याही दर्शायें गये रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश

तहसीलदार डूंगरपुर को दिये जाते है। संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का अंग समझा जायेगा।

आदेश आज दिनांक 5.06.2025 को मेरे द्वारा लिखया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(सांवरलाल आबासरा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
डूंगरपुर